तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ. लक्ष्मणसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 58 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. लक्ष्मणसिंह राठौड़, पता डी–29ए सरस्वतीनगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.02.19 में उसके द्वारा (1) मैसर्स मालमसिंह उचित मूल्य की दूकान, ग्राम पंचायत गड़ा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के राशन वितरण संबंधी शिकायत जांच एवं विभागीय निरीक्षण कितनी बार हुआ। उन सबकी सत्यापित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 84 दिनांक 01.05.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के सृजन से अब तक कार्यालय रेकर्ड के अनुसार मैसस मालमसिंह, उचित मूल्य दूकान गड़ा, तहसील शेरगढ का निरीक्षण नहीं किया गया है तथा उक्त दूकान के वितरण संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट की प्रति जरिये पत्रांक 85 दिनांक 01.05.19 प्रार्थी को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया, जो अत्यन्त खेद जनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक प्रकिया के तहत निस्तारित किया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	